फर्द अहकाम

कन्हैयालाल बनाम नोरतमल

...म न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी फागी

...स संख्या 226/2015

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
12-9-25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के वकील उपस्थित आज अभिभाषक संघ फागी ने न्यायिक के कार्य स्थगित किया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 9/10/25 को पेश हो।	
9/10/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस आपत्ति नक्शा-कुर्रेजात हेतु दिनांक 31/10/25 को पेश हो	
31/10/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उप०। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 6/11/25 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी फागी	
6/11/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उपस्थित। आदेश सुनाया जाता है प्रार्थी का प्रा० पत्र आपत्ति खारिज किया जाकर वादी का 9TS मुताबिक नक्शा-कुर्रेजात अंतिम डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं. से कम हो दाखिल दफ्तर रहे। उपखण्ड अधिकारी फागी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर :— 226/2015
निर्णय दिनांक :— 06.11.2025
पीठासीन अधिकारी— राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

कन्हैयालाल पुत्र दुर्गालाल जाति नाई निवासी ग्राम निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज.। वादी

बनाम

1. नोरतमल पुत्र दूर्गालाल जाति नाई निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
2. गंगासहाय पुत्र दूर्गालाल जाति नाई निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
3. छोटी पत्नि रामनाथ जाति जाट निवासी पालडी तहसील फागी (मृतक)
   3/1 हनुमान
   3/2 श्योजीराम
   3/3 गिरधारी
   3/4 प्रहलाद पुत्रान छोटी देवी
   3/5 पुखराज पुत्र कृष्णलाल
   3/6 ओमप्रकाश पुत्र कृष्णलाल
   3/7 आशा चौधरी पुत्री कृष्णलाल
   3/8 तीजा पत्नि कृष्णलाल
   3/9 मीरा देवी पुत्री छोटी देवी
   3/10 बरजी देवी पुत्री छोटी देवी
   3/11 राधा देवी पुत्री छोटी देवी
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम पालडी तहसील फागी जिला जयपुर।
4. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला-जयपुर

उपस्थित अधिवक्ताः— श्री विनोद कुमार जैन अधिवक्ता वादी
श्री प्रेमचन्द शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी
वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः— 06.11.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम निमेडा के सम्बन्ध मे दिनांक 17.04.2025 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्णय व डिक्री की प्रति भेजकर नक्शा व कुरेजात दो — दो प्रतियों में भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार फागी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/LR/23/4510 दिनांक 02.11.2023 के द्वारा नक्शे — कुर्रेजात प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत नक्शा व कुर्रेजात का अवलोकन वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण को कराया गया। वकील वादी ने नक्शा कुर्रेजात पर आपत्ति जाहिर करते हुये आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र मे बताया की पटवारी हल्का द्वारा वास्तविक कब्जे के अनुसार कुरेजात पेश नही कर लिखावट के विपरित पेश किये है। प्रस्तुत कुरेजात के बाबत वादी को कोई सूचना नही दी गई, न कुरेजात तैयार करते समय वादी को बताया गया, न सुना गया, न बुलाया गया एवं प्रस्तुत नक्शा कुरेजात पर वादी के हस्ताक्षर भी नही है। इस प्रकार कुरेजात बिना सहमति के विधि के विपरीत पेश किये गये है। जो निरस्तनीय है।

उपखण्ड अधिकारी

वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी ने आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब नही देकर सीधी बहस करने का निवेदन किया। जबाव आपत्ति प्रार्थना पत्र वन्द किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी/वादी के अधिवक्ता ने अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये पुनः तहसीलदार फागी से मौका कब्जानुसार नक्शा – कुरेजात मंगवाये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज करते हुये वादी का वाद मुताबिक नक्शा–कुर्रेजात वाद अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं नक्शा–कुर्रेजात का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की तहसीलदार फागी द्वारा मुताबिक प्राथमिक निर्णय व डिकी एवं मिट्स एण्ड बाउन्डस व कब्जेनुसार नक्शा कुरेजात प्रस्तुत किये गये लेकिन वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे मुख्य आक्षेप यह लगाया है कि कुरेजात के समय वादी को ना तो बुलाया गया, ना ही वादी के हस्ताक्षर करवाये गये एवं प्रस्तुत नक्शा कुरेजात मौका कब्जानुसार सही नही है। जबकि तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत नक्शा – कुरेजात पर अंकन है कि वादी ने हस्ताक्षर करने से मना किया है। जिससे स्पष्ट है कि वादी मौके पर मौजूद था लेकिन जान बुझकर कुरेजात व नक्शा पर हस्ताक्षर नही किये। प्रतिवादीगण के उक्त नक्शा – कुरेजात पर हस्ताक्षर है। प्राप्त नक्शा – कुरेजात पर सम्बन्धित पटवारी, भू0अ0 निरीक्षक तथा तहसीलदार फागी के हस्ताक्षर भी मौजुद है। अगर विधिवत् नोटिस तामील होने उपरान्त भी कोई पक्षकार अनुपस्थित रहते है तो तहसीलदार फागी को उनकी अनुपस्थिति हेतु जिम्मेदार नही माना जा सकता।

प्रार्थी/वादी द्वारा पूर्व में पेश समान प्रकृति की आपत्ति को न्यायालय द्वारा न्यायहित में स्वीकार कर पूर्व में प्राप्त नक्शे कुरेजात दिनांक 08.05.2018 को निरस्त कर, पुनः नवीन नक्शो – कुरैजात मंगवाए जाने हेतु तहसीलदार फागी को लिखा गया था जिसकी पालना में तहसील फागी स्तर से दिनांक 02.11.2023 को नवीन नक्शे कुरैजात प्राप्त हुए। अव पुनः उसी प्रकृति को आपत्ति कुरेजात पेश किया जाना वाद के निस्तारण में अनावश्यक दैरी कारित करने के समकक्ष है। नक्शे कुरैजात दिनांक 02.11.2023 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सम्वन्धित पक्षकारान को विधिवत नोटिस तामील करवाये जाने उपरान्त यह कुरैजात तहसीलदार फागी द्वारा मौके पर उपस्थित रहकर बनाए है। सम्बन्धित पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार फागी के हस्ताक्षर कुरैजात पर मौजूद है। प्राप्त नक्शे कुरैजात सम्बन्धित पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्सानुसार के अनुपातिक रूप में तथा इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिकी के अनुरूप है। समस्त पत्रावली व आपत्ति के साथ संलग्न ऐसे कोई साक्ष्य/दस्तावेज नही है जिससे यह साबित हो सके की यह मौके के विपरीत है। मात्र कथन किये जाने के आधार पर आपत्ति कुरैजात साबित नही मानी जा सकती व दो बार नक्शे कुरेजात मंगवाए जाने उपरान्त पुनः न्यायालय को इन्हे मंगवाए जाने की आवश्यकता साबित नही होती। प्रार्थी/वादी द्वारा समस्त पत्रावली पर कोई ऐसा साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिससे उनके द्वारा किये जा रहे विशिष्ट भू – भाग पर कब्जेकाश्त के कथन व तहसील फागी स्तर से प्राप्त कुरैजात के मौके के विपरीत होने का कथंन सावित होता हो। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम प्रार्थी/वादी का आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज करते हुये वादी का वाद मुताबिक नक्शा कुरेजात अन्तिम डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटवन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो। मुताबिक निर्णय व डिकी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्वर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

क्र. स	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	कन्हैयालाल पुत्र दुर्गालाल हि. पूर्ण जाति नाई सा. देह खातेदार राहिन हि. पूर्ण राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा नीमेडा	2504/28/4	0.8335	बारानी 3	
	योग	किता 1	0.8335		
2	गंगासहाय पुत्र दुर्गालाल हि. पूर्ण जाति नाई सा. देह खातेदार	2504/28/3	0.5557	बारानी 3	
	योग	किता 1	0.5557		
3	छोटी देवी पत्नि रामनाथ हि. पूर्ण जाति जाट सा. पालडी राहिन हि. पूर्ण एस.बी.आई. शाखा सरकारी अस्पताल के पास	2504/28/1	0.9030	बारानी 3	
	योग	किता 1	0.9030		
4	नोरतमल पुत्र दुर्गालाल हि. पूर्ण जाति नाई सा. देह खातेदार	2504/28/2	0.2084	बरानी 3	
	योग	किता 1	0.2084		
5	कन्हैयालाल पुत्र दुर्गालाल हि0 1/3 जाति नाई सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/3 राज. मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा नीमेडा, गंगासहाय पुत्र दुर्गालाल हि. 2/9 जाति नाई सा. देह खातेदार, छोटी देवी पत्नि रामनाथ हि. 13/36 जाति जाट सा. पालडी खातेदार राहिन हि. 13/36 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सरकारी अस्पताल के पास फागी, नोरतमल पुत्र दुर्गालाल हि. 1/12 जाति नाई सा. देह खातेदार।	2504/28/5	0.0284	बारानी 3	
	योग	किता 1	0.0284		

निर्णय आज दिनांक 06.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

6/11/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला—जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास— राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उनवान

कन्हैयालाल पुत्र दुर्गालाल जाति नाई निवासी ग्राम निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज.।

बनाम

1. नोरतमल पुत्र दूर्गालाल जाति नाई निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
2. गंगासहाय पुत्र दूर्गालाल जाति नाई निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
3. छोटी पत्नि रामनाथ जाति जाट निवासी पालडी तहसील फागी (मृतक)
   3/1 हनुमान
   3/2 श्योजीराम
   3/3 गिरधारी
   3/4 प्र[illegible] पुत्रान छोटी देवी
   3/5 पुखराज पुत्र कृष्णलाल
   3/6 ओमप्रकाश पुत्र कृष्णलाल
   3/7 आशा चौधरी पुत्री कृष्णलाल
   3/8 तीजा पत्नि कृष्णलाल
   3/9 मीरा देवी पुत्री छोटी देवी
   3/10 बरजी देवी पुत्री छोटी देवी
   3/11 राधा देवी पुत्री छोटी देवी
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम पालडी तहसील फागी जिला जयपुर।
4. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

::— वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा ::—

मु0न0:— 226/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री विनोद कुमार जैन हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण श्री प्रेमचन्द शर्मा मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः **वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा — कुरेजात निर्णय डिक्री के पार्ट होगे।**

निज.......×.......मुबलिग.......×.......बाबत.......×.......
.......×.......खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.......×.......
फीसदी.......×.......सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.......×....... का अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.11.2025 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी फागी

ओहदा..................

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी पृ0उ0

कन्हैयालाल बनाम नौरतमल वगै0
मु0नं0:– 226 / 2015
निर्णय दिनांक:– 06.11.2025

क्र. स	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	कन्हैयालाल पुत्र दुर्गालाल हि. पूर्ण जाति नाई सा. देह खातेदार राहिन हि. पूर्ण राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा नीमेडा	2504 / 28 / 4	0.8335	बारानी 3	
	योग	किता 1	0.8335		
2	गंगासहाय पुत्र दुर्गालाल हि. पूर्ण जाति नाई सा. देह खातेदार	2504 / 28 / 3	0.5557	बारानी 3	
	योग	किता 1	0.5557		
3	छोटी देवी पत्नि रामनाथ हि. पूर्ण जाति जाट सा. पालडी राहिन हि. पूर्ण एस.बी.आई. शाखा सरकारी अस्पताल के पास	2504 / 28 / 1	0.9030	बारानी 3	
	योग	किता 1	0.9030		
4	नोरतमल पुत्र दुर्गालाल हि. पूर्ण जाति नाई सा. देह खातेदार	2504 / 28 / 2	0.2084	बरानी 3	
	योग	किता 1	0.2084		
5	कन्हैयालाल पुत्र दुर्गालाल हि0 1/3 जाति नाई सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/3 राज. मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा नीमेडा, गंगासहाय पुत्र दुर्गालाल हि. 2/9 जाति नाई सा. देह खातेदार, छोटी देवी पत्नि रामनाथ हि. 13/36 जाति जाट सा. पालडी खातेदार राहिन हि. 13/36 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सरकारी अस्पताल के पास फागी, नोरतमल पुत्र दुर्गालाल हि. 1/12 जाति नाई सा. देह खातेदार।	2504 / 28 / 5	0.0284	बारानी 3	
	योग	किता 1	0.0284		

निर्णय आज दिनांक 06.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

6/11/25

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी
फागी-जिला जयपुर